


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 747]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, दिसम्बर 3, 2015/अग्रहायण 12, 1937

No. 747]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 2015/AGRAHAYANA 12, 1937

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 30 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 925(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग के कैटीनों में विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (कैटीन कर्मचारी) भर्ती नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य विषय वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरर्हताएँ - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **आरंभिक बटन-अनुसूची** के स्तंभ (i) उल्लिखित पदों के पदधारी जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 29 जनवरी, 1992 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12/5/91-डीआईआर (सी) के जरिए 1 अक्टूबर, 1991 से प्रभावी रूप में सरकारी सेवक के रूप में घोषित किये गये हैं तथा जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि पर या उसके पूर्व नियमित आधार पर धारित किये हुए हैं, इन नियमों के उपबंधों के तहत नियुक्त किये गये माने जाएंगे।

(2) इन नियमों के प्रारंभ करने के तत्काल पूर्व के संबंधित ग्रेड में उप नियम (1) में संदर्भित कार्मिकों के नियमित निरंतर सेवा परिवीक्षा, वरिष्ठता, प्रोन्नति की अर्हता सेवा, सेवा में स्थायीकरण और पेंशन की अवधि के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. महाप्रबंधक	4 * (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा (समूह ख) अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, ('9300 - 34800), ग्रेड वेतन '4200** **पदधारी उक्त पद के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गयी दर से विशेष भत्ता पाने के हकदार होंगे।	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती से या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

भर्ती प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन की जानी हैं
(11)
प्रोन्नति: (कैटीन टाइप 2A के मामले में) प्रबंधक-सह-लेखाकार जिन्होंने वेतन बैंड-2, '9300-34800+ ग्रेड वेतन '4200 की श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो। (कैटीन टाइप 3A से 10A के मामले में) प्रबंधक-सह-लेखाकार और उप महा प्रबंधक जिन्होंने वेतन बैंड-2 '9300-34800+ ग्रेड वेतन '4200 की श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: प्रोन्नति हेतु पात्रता सूची उक्त अधिकारी द्वारा उनकी संबंधित ग्रेड/पद पर निर्धारित अर्हता सेवा पूरी करने की तिथि को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता

सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझा जाएगा।

टिप्पण 4: पात्रता की अवधि की गणना के लिए पद के रिक्ति वर्ष की निर्णायक तारीख 1 अप्रैल होगी।

प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी-

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखते हैं:

(i) मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य/व्यवसाय अध्ययन/अर्थशास्त्र/लोक प्रशासन में स्नातक उपाधि।

(ii) विभागीय कैदीन का प्रशासन और प्रबंध में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन: 1. निदेशक या उप सचिव जो प्रशासन का प्रभारी हो या उप मुख्य कार्यकारी (प्र) या मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी या मुख्य प्रशासन अधिकारी - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) या प्रशासन अधिकारी-III - सदस्य 3. उप लेखा नियंत्रक या वरिष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप महाप्रबंधक	6 * (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा (समूह ख) अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतनबैंड-2, (9300-34800), ग्रेड वेतन 4200 ** ** पदधारी उक्त पद के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गयी दर से विशेष भत्ता पाने के हकदार होंगे।	चयन	30वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मिजोरम, मणिपुर,

					नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्कीम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश में लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य/व्यवसाय अध्ययन /अर्थशास्त्र/लोक प्रशासन में स्नातक उपाधि;</p> <p>(ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त/सांविधिक संगठन में लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए तथा प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति : सहायक प्रबंधक सह भंडारी जिन्होंने वेतन बैंड-1, '5200-20,200 + ग्रेड वेतन '2400 की श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उन ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी पात्रता की अवधि की गणना के लिए पद के रिक्ति वर्ष की निर्णायक तारीख 1 अप्रैल होगी, विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगा।</p> <p>टिप्पण 3: पात्रता की अवधि की गणना के लिए पद के रिक्ति वर्ष की निर्णायक तारीख 1 अप्रैल होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या,</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1, '5200-20,200 + ग्रेड वेतन '2800 में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1, '5200-20,200 + ग्रेड वेतन '2400 में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष की सेवा की हो; तथा</p> <p>(ख) जो कॉलम (7) के अधीन सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखता हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किस अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन: 1. निदेशक या उप सचिव जो प्रशासन का प्रभारी हो या उप मुख्य कार्यकारी (प्र) या मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी या मुख्य प्रशासन अधिकारी 2. अवर सचिव (प्रशासन) या प्रशासनअधिकारी-III 3. उप लेखा नियंत्रक या वरिष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी	लागू नहीं - अध्यक्ष - सदस्य - सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. प्रबंधक ग्रेड-II	11 * (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा (समूह ख) अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, (9300-34800), ग्रेड वेतन 4200 ** ** पदधारी उक्त पद के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गयी दर से विशेष भत्ता पाने के हकदार होंगे।	चयन	30 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश में लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
बनिवार्य: (i) मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य/व्यवसाय अध्ययन /अर्थशास्त्र/लोक प्रशासन में स्नातक उपाधि; (ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त/सांविधिक संगठनों में लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव टिप्पण 1: अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए तथा प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
---	--	--	--

(11)

प्रोन्नति : सहायक प्रबंधक सह भंडारी जिन्होंने वेतन बैंड-1 '5200-20,200 + ग्रेड वेतन '2400/- की श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उन ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझा जाएगा।

टिप्पण 3: पात्रता की अवधि की गणना के लिए पद के रिक्ति वर्ष की निर्णायक तारीख 1 अप्रैल होगी।

प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी-

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृशपद धारण किए हुए हैं या,

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1 '5200-20,200 + ग्रेड वेतन '2800 में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; या

(iii) मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1 '5200-20,200 + ग्रेड वेतन '2400 में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा की हो; तथा

(ख) जो कॉलम (7) के अधीन सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखता हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किस अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन

- निदेशक या उप सचिव जो प्रशासन का प्रभारी हो या उप मुख्य कार्यकारी (प्र) या मुख्य प्रशासन और लेखा अधिकारी या मुख्य प्रशासन अधिकारी - अध्यक्ष
- अवर सचिव (प्रशासन) या प्रशासन अधिकारी-III - सदस्य
- उप लेखा नियंत्रक या वरिष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी - सदस्य

(13)

लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. प्रबंधक-सह-लेखाकार	7 * (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा (समूह ख) अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, ('9300-34800), ग्रेड वेतन '4200 ** ** पदधारी उक्त पद के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गयी दर से विशेष भत्ता पाने के हकदार होंगे।	चयन	30 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य/व्यवसाय अध्ययन/अर्थशास्त्र/लोक प्रशासन में स्नातक उपाधि;</p> <p>(ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सहायता प्राप्त/साविधिक संगठनों में लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए तथा प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति: सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी जिन्होंने वेतन बैंड-1 '5200-20,200 + ग्रेड वेतन '2400/-की श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उन ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझा जाएगा।</p>

टिप्पण 3: पात्रता की अवधि की गणना के लिए पद के रिक्ति वर्ष की निर्णायक तारीख 1 अप्रैल होगी।

प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी-

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृशपद धारण किए हुए हैं या,

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1 '5200-20,200 + ग्रेड वेतन '2800 में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1 '5200-20,200 + ग्रेड वेतन '2400 में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा की है; तथा

(ख) जो कॉलम (7) के अधीन सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखता हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राह्म पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किस अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन	लागू नहीं
1. निदेशक या उप सचिव जो प्रशासन का प्रभारी हो या उप मुख्य कार्यकारी (प्र) या मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी या मुख्य प्रशासन अधिकारी	- अध्यक्ष
2. अवर सचिव (प्रशासन) या प्रशासन अधिकारी-III	- सदस्य
3. उप लेखा नियंत्रक या वरिष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी	- सदस्य

[सं. 20/1(3)/2014 - सीसीएस/16275]

स्वाति पाण्डेय, निदेशक (काडर)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th November, 2015

G.S.R. 925(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the various posts in the Departmental Canteens of the Department of Atomic Energy, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Canteen Employees) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.— No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Initial Constitution.—(1) The incumbents of the posts mentioned in column (1) of the Schedule who are declared as Government servants with effect from the 1st day of October, 1991, *vide* the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Office Memorandum No. 12/5/91-Dir.(C) dated the 29th January, 1992, and who on or before the date of commencement of these rules are holding post on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel referred to in sub-rule (1) in the respective grades immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service of promotion, confirmation and pension in the service.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. General Manager	4 * (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group B) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-2, (9300-34,800), Grade Pay of ` 4200 ** ** The incumbents of the post shall be entitled to draw Special Allowance at such rates as may be decided by the Government from time to time.	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made

(11)

Promotion :
(in the case of Canteen Type 2A)

Manager-cum-Accountant in PB-2, ` 9300-34800 with Grade Pay of ` 4200 with three years of regular service in the grade.

(in the case of Canteen Type 3A to 10A)

Manager-cum-Accountant and Deputy General Manager in PB-2, ` 9300-34800 with Grade Pay of ` 4200 with three years of regular service in the grade.

Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the officers in their respective grade/post.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Note 4: The crucial date for computing the period of eligibility shall be the 1st April of the vacancy year.

Deputation : Officers under the Central Government -

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

(i) Bachelor's Degree in Commerce/ Business Studies/Economics/Public Administration of a recognised Indian University/ Institute

(ii) Three years' experience in administration and management of Departmental Canteen.

Note 1: The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee 1. Director or Deputy Secretary in charge of Administration or Deputy Chief Executive (A) or Chief Administrative and Accounts Officer or Chief Administrative Officer - Chairman 2. Under Secretary (Administration) or Administrative Officer-III - Member 3. Deputy Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Accounts Officer - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy General Manager.	6 * (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group B) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-2, (` 9300-34,800), Grade Pay of ` 4200 ** ** The incumbents of the post shall be entitled to draw Special Allowance at such rates as may be decided by the Government from time to time.	Selection.	30 years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelor's Degree in Commerce/Business Studies/Economics/Public Administration of a recognised Indian University/Institute; (ii) Two years experience in Accounts work in any Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous/Statutory Organisation. Note 1: Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	No.	Two years for direct recruits and promotees.	Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.

(11)
Promotion : Assistant Manager-cum-Store Keeper in Pay Band -1, of ` 5200-20,200 with Grade Pay ` 2400 with ten years of regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Note 3: The crucial date for computing the period of eligibility shall be the 1st April of the vacancy year. Deputation : Officers under the Central Government- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-1, ` 5200-20200 with Grade Pay of ` 2800 or equivalent in the parent cadre/ department; or

(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band -1, ` 5200-20,200 + Grade Pay ` 2400 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee:— 1. Director or Deputy Secretary in charge of Administration or Deputy Chief Executive (A) or Chief Administrative and Accounts Officer or Chief Administrative Officer - Chairman 2. Under Secretary (Administration) or Administrative Officer-III - Member 3. Deputy Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Accounts Officer - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Manager Grade-II	11 * (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group B) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-2, (` 9300-34,800), Grade Pay of ` 4200 ** ** The incumbents of the post shall be entitled to draw Special Allowance at such rates as may be decided by the Government from time to time.	Selection.	30 Years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelor's Degree in Commerce/Business Studies/Economics/Public Administration of a recognised Indian University/Institute. (ii) Two years experience in Accounts work in any Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous/Statutory Organization. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.	No	Two years for direct recruits and promotees.	Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.

<p>Note 2: Qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>			
---	--	--	--

(11)

Promotion : Assistant Manager-cum-Store Keeper in Pay Band -1 of ` 5200-20,200 with Grade Pay of `2400 with ten years of regular service in the grade.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Note 3: The crucial date for computing the period of eligibility shall be the 1st April of the vacancy year.

Deputation : Officers under the Central Government —

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-1, ` 5200-20200 with Grade Pay of ` 2800 or equivalent in the parent cadre/department; or

(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band -1 ` 5200-20,200 + Grade Pay ` 2400 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

<p>Departmental Promotion Committee:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director or Deputy Secretary in charge of Administration or Deputy Chief Executive (A) or Chief Administrative and Accounts Officer or Chief Administrative Officer - Chairman 2. Under Secretary (Administration) or Administrative Officer-III - Member 3. Deputy Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Accounts Officer - Member 	Not applicable.
--	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Manager-cum-Accountant.	7 * (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group B) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-2, (` 9300-34,800), Grade Pay of `4200 **	Selection.	30 Years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

			** The incumbents of the post shall be entitled to draw Special Allowance at such rates as may be decided by the Government from time to time.		Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor's Degree in Commerce/Business Studies/Economics/Public Administration of a recognized Indian University/Institute;</p> <p>(ii) Two years experience in Accounts work in any Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous/Statutory Organization.</p> <p>Note 1: Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	No	Two years for direct recruits and promotees.	Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.

(11)
<p>Promotion :</p> <p>Assistant Manager-cum-Store Keeper in Pay Band-1, ` 5200-20,200 with Grade Pay ` 2400 with ten years of regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Note 3: The crucial date for computing the period of eligibility shall be the 1st April of the vacancy year.</p> <p>Deputation : Officers under the Central Government —</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-1, ` 5200-20200 with Grade Pay of ` 2800 or equivalent in the parent cadre/department; or</p> <p>(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis posts in the Pay Band-1, ` 5200-20,200 with Grade Pay of ` 2400 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by</p>

promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years.

The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee:— <ol style="list-style-type: none"> 1. Director or Deputy Secretary in charge of Administration or Deputy Chief Executive (A) or Chief Administrative and Accounts Officer or Chief Administrative Officer - Chairman 2. Under Secretary (Administration) or Administrative Officer-III - Member 3. Deputy Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Accounts Officer - Member 	Not applicable.

[No. 20/1(3)/2014-CCS/16275]

SWATI PANDEY, Director (Cadre)